प्रमंडलीय सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, सारण, छपरा

प्रेस कतरन

समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण .... प्रकाशन की तिथि 25-12-2024

आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

–:प्रेस विज्ञप्ति:–

एतद् द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आयुक्त सारण प्रमंडल छपरा के न्यायालय में पक्षकारों द्वारा समय पर उचित पैरवी नहीं करने के कारण **लंबित वादों की संख्या–902** है। वाद दायर करनें वाले वादी एवं प्रतिवादीगण को पुनः सूचित किया जाता है कि न्यायालय मे अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगें, ताकि लंबित वादों की सुनवाई कर उसे निष्पादित किया जा सके। वाद में रूचि नहीं लेने पर तीन तिथियों के बाद समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्व में भी PR No-009123 (LAW) 2024–25, दिनांक–26.09.2024 के द्वारा इस संबंध में सूचना दी गयी है।

आयुक्त के न्यायालय में लंबित सभी वादों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसे आयुक्त न्यायालय सारण प्रमंडल, छपरा के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट (**https://sarandivision.bih.nic.in**) तथा **RCMS** (राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली) पर सभी वादी/प्रतिवादीगण एवं संबंधित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सहजतापूर्वक देखा जा सकता है। इस क्रम में सभी लंबित वादों जिनमें उभय पक्ष अनुपस्थित रहें है, उन्हें **दिनांक–13.01.2025** को अंतिम रूप से अपना पक्ष/उपस्थिति रखने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। उक्त तिथि को भी अपना पक्ष/उपस्थिति नहीं प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे सभी वादों को तीन तिथियों के पश्चात् वाद में रूचि नहीं लेने के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा।

आयुक्त,
सारण प्रमंडल छपरा

PR. No. 015420 (District) 2024-25

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

कृप्या अवलोकनार्थ

उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)
सारण, छपरा

ज्ञापांक .... सू0ज0सं0 .... दिनांक..................

सेवा में ....
....

महाशय,

कृपया आयुक्त के आदेशानुसार प्रत्येक बिन्दुओं पर अनुपानल प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजें ताकि वस्तुस्थिति से आयुक्त को अवगत कराया जा सकें।

आयुक्त, सारण प्रमंडल,
छपरा

उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)
सारण प्रमंडल, छपरा

Scanned with OKEN Scanner

प्रमंडलीय सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, सारण, छपरा

प्रेस कतरन

समाचार पत्र का नाम ....हिन्दुस्तान.... प्रकाशन की तिथि ....25-12-2024....

आयुक्त, सारण प्रमंडल,
छपरा

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

–:प्रेस विज्ञप्ति:–

एतद् द्वारा आप सभी को सूचित किया जाता है कि आयुक्त सारण प्रमंडल छपरा के न्यायालय में पक्षकारों द्वारा समय पर उचित पैरवी नहीं करने के कारण **लंबित वादों की संख्या–902** है। वाद दायर करने वाले वादी एवं प्रतिवादीगण को पुनः सूचित किया जाता है कि न्यायालय मे अगली सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे, ताकि लंबित वादों की सुनवाई कर उसे निष्पादित किया जा सके। वाद में रूचि नहीं लेने पर तीन तिथियों के बाद समाप्त कर दिया जायेगा। पूर्व में भी PR **No-009123 (LAW)** 2024–25, दिनांक–26.09.2024 के द्वारा इस संबंध में सूचना दी गयी है।

आयुक्त के न्यायालय में लंबित सभी वादों की सुनवाई हेतु अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसे आयुक्त न्यायालय सारण प्रमंडल, छपरा के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट **(https://sarandivision.bih.nic.in)** तथा **RCMS** (राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली) पर सभी वादी/प्रतिवादीगण एवं संबंधित विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सहजतापूर्वक देखा जा सकता है। इस क्रम में सभी लंबित वादों जिनमें उभय पक्ष अनुपस्थित रहें है, उन्हें **दिनांक–13.01.2025** को अंतिम रूप से अपना पक्ष/उपस्थिति रखने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। उक्त तिथि को भी अपना पक्ष/उपस्थिति नहीं प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे सभी वादों को तीन तिथियों के पश्चात् वाद में रूचि नहीं लेने के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा।

आयुक्त,
सारण प्रमंडल छपरा

PR. No. 015420 (District) 2024-25

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

सुरक्षित जीवन अपनाओ, अपनी नियमित एच.आई.वी. जाँच कराओ।

कृप्या अवलोकनार्थ

उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)
सारण, छपरा

ज्ञापांक .... सू0ज0सं0 .... दिनांक....................

सेवा में ....

....

महाशय,

कृपया आयुक्त के आदेशानुसार प्रत्येक बिन्दुओं पर अनुपानल प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजें ताकि वस्तुस्थिति से आयुक्त को अवगत कराया जा सकें ।

आयुक्त, सारण प्रमंडल,
छपरा

उप जनसम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)
सारण प्रमंडल, छपरा

Scanned with OKEN Scanner